न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी नरेन्द्र सिह पुरोहित आर.ए.एस
अपील संख्या 183/2017 एल आर एक्ट
अनवान भंवराराम वगैरह बनाम श्रीमती आसी वगैरह

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
12-06-2018 अति. संभागीय आयुक्त बीकानेर	पत्रावली प्रस्तुत हुई । अभिभाषक अपीलान्ट श्री प्रदीप प्रजापत, राजकीय अभिभाषक श्री सुभाष सहु, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अभिभाषक श्री नरसाराम जाखड़ उपस्थित । चुनाराम पुत्र स्व. खुमाराम के अभिभाषक श्री नरेन्द्र गोड़ उपस्थित। गोधा पत्नी मधाराम, भैराराम, पुरखाराम, जवाराराम, अमराराम, लिखमाराम, माणकराम, चन्दाराम, श्रीमती गमक जेठी, रामी, मैना पुत्र पुत्रीगण मधाराम बावरी तहसील सुजानढ जरिये मुख्त्याराम हीरालाल पुत्र ईशराराम के अभिभाषक श्री सुनील भाटी उपस्थित। (चुनाराम पुत्र स्व. खुमाराम का दिनांक 8.8.17 से अपील में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र विचाराधीन है तथा गोधा पत्नी मधाराम, भैराराम, पुरखाराम, जवाराराम, अमराराम, लिखमाराम, माणकराम, चन्दाराम, श्रीमती गमक जेठी, रामी, मैना पुत्र पुत्रीगण मधाराम बावरी तहसील सुजानढ जरिये मुख्त्याराम हीरालाल पुत्र ईशराराम का दिनांक 25.9.17 से अपील में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र विचाराधीन है।) अभिभाषक अपीलान्ट ने प्रकरण में हिदायत पैरवी नहीं होना (No instruction) प्लीड किया है । राजकीय अभिभाषक ने अपीलांट द्वारा अपील (No instruction) प्लीड करने पर (NO Objection) अनापत्ति किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अभिभाषक श्री नरसाराम, ...लगातार......................	प्रदीपप्रजापत SBhati (नरेन्द्र गोड़)

श्री नरेन्द्र गोड़ अभिभाषक एव श्री सुनील भाटी एडवोकेट ने भी अपील No instruction प्लीड करने पर (NO Objection) अनापत्ति किया।

हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा पेश (No instruction) प्लीड करने का प्रार्थना पत्र एव पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रकरण में अपीलान्ट्स के नाम से रुक–रुक कर आवाज लगाई गयी, किन्तु वे अनुपस्थित हैं। अतः यह अपील अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा हिदायत पैरवी नहीं होने एवं (No instruction) प्लीड करने तथा अपीलान्ट्स के अनुपस्थित रहने के कारण यह अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है । आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड वापिस प्रेषित हो । पत्रावली बाद तरतीब–तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर